भाग पांच : खण्ड एक

भू-राजस्व संहित में वृक्षों की कटाई पर नियन्त्रण

धारा 179 खाते के वृक्षों पर अधिकार : धारा 240 एवं 241 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भूमिस्वामी के खातें में वृक्ष उसी के होंगे।

(2) उपधारा (1) की कोई भी बात भूमिस्वामी के खाते में के वृक्षों में इस संहिता के प्रवृत्त होने के दिनांक को, किसी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी किन्तु भूस्वामी ऐसे अधिकार का मूल्य निश्चित करने क लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा और उस अधिकार, को ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, तहसीलदार के माध्यम से क्रय कर सकेगा।

इस धारा के अन्तर्गत अधिकार क्रय करने के नियम बनाये हैं जो असंबंधित होने से नहीं दिये जा रहे हैं।

धारा 180. वृक्षों के अन्तरण पर निबन्धन - (1) भमिस्वामी द्वारा उसे खाते में समाविष्ट किसी भी भूमि में खड़े हुए किन्हीं वृक्षों का अन्तरण, ऐसे वृक्षों की उपज छोड़कर शून्य होगा, जब तक भूमि ही अन्तरित न कर दी जाए।

(2) भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट किसी भी भूमि में खड़े हुए वृक्षों को, सिविल कोर्ट की डिक्री या आदेश के निष्पादन में अथवा राजस्व पदाधिकारी के आदेश के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के किन्हीं भी उपबन्धों के अनुसरण में दिये गये आदेश के अधीन न हो कुर्क किये जायेंगे और न बेचे जायेंगे जब तक कि भूमि ही कुर्क न कर ली जाए अथवा बेच न दी जाए।

धारा 240. कतिपय वृक्षों की कटाई पर प्रतिषेध - (1) यदि राज्य शासन का यह मत हो कि किन्हीं वृक्षों की कटाई सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है, या यह कि भूमि का कटाव (crosion) को रोकने के लिए कतिपय वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन आवश्यक है, तो इस संबंध में बनाये गये नियमों द्वारा, ऐसे वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन कर सकेगा चाहे ऐसे वृक्ष भूमिस्वामी की भूमि पर या राज्य शासन की भूमि पर खड़े हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियम बनाते समय, राज्य शासन यह उपबन्ध कर सकेगा कि समस्त या कोई नियम केवल ऐसे क्षेत्र पर लागू होंगे जिसे राज्य शासन अधिसूचना द्वारा उल्लिखित करें।

(3) राज्य शासन अपनी भूमि पर की वनोपज के नियन्त्रण, प्रबन्धन, काटने अथवा हटाने का विनियमन करने संबंधी नियम बना सकेगा।

इस धारा के अन्तर्गत निम्नानुसार नियम बनाये गये हैं।

म.प्र. वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध का विनियम नियम 2007

अधिसूचना क्रमांक 2-39-04-सात-शा.-6 दिनांक 26 नवम्बर 2007 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 240 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (इकसठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात्-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन नियम, 2007 है।

2. कोई वृक्ष -

(क) किसी जलधारा, झरने या तालाब के किनारे के अन्तिम कगार से 30 मीटर के भीतर,

(ख) किसी सड़क या बैलगाड़ी के रास्ते के मध्य से 15 मीटर के भीतर तथा किसी पगडंडी से 6 मीटर के भीतर,

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की परिधि के भीतर किसी उपवन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में,

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम अथवा उसके समान किसी अन्य योजना के अधीन वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के अधीन के क्षेत्र में,

(ङ) पड़ाव, कब्रस्तान, या श्मशान स्थल, गोठान, खलिहान बाजार या आबादी के लिए पृथक् रखे गये किसी क्षेत्र में, या

(च) पहाड़ी तथा 25 डिग्री से अधिक ढलान वाले ऊँचे नीचे क्षेत्र पर, कोई वृक्ष न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, व उसका तना छीलकर घेरा बनाया जाएगा और नहीं उसे अन्यथा नुकसान पहुँचाया जाएगा।

स्पष्टीकरण - खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए जलधारा में ऐसी सरिताएँ, नदियाँ, छोटी नदियाँ और नाले सम्मिलित होंगे जिनमें साधारणतया दिसम्बर के अन्त तक पानी रहता है, किन्तु मानसून के दौरान पानी के बह निकलने से बनी छोटी अस्थायी नालियाँ सम्मिलित नहीं होंगी।

3. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत स्तरीय समिति होगी। ऐसी ग्राम पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्य और स्थानीय पटवारी ऐसी समिति के सदस्य होंगे। सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति का सभापति होगा और ऐसी समिति का सचिव ऐसी समिति का सदस्य सचिव होगा।

4. नियम 2 में विनिर्दिष्ट वृक्ष, ग्राम पंचायत स्तरीय समिति की अनुशंसा पर तहसीलदार (जिसमें अपर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सम्मिलित है) की अनुज्ञा के बिना नहीं काटे जाएंगे :

परन्तु वृक्षों के काटे जाने या काटकर गिराये जाने के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि वृक्षों का काटा जाना या काटकर गिराया जाना, मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) के अनुसार है।

5. दखलरहित या शासकीय भूमि पर खड़े वृक्ष कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं काटे जाएंगे :

परन्तु ग्राम पंचायत स्तरीय समिति सम्यक् रूप से बुलाये गये सम्मिलिन में पारित किए गये विधिमान्य संकल्प के आधार पर तहसीलदार (जिसमें अपर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सम्मिलित है) संहिता की धारा 234 के अधीन तैयार किये गये, निस्तार पत्रक के अनसार केवल उस ग्राम के निवासियों के वास्तविक उपयोग के लिए ग्राम में की दखल रहित भूमि के बबूल प्रजाति के वृक्षों को या उनके भाग को काटने या हटाने की लिखित में अनुज्ञा दे सकेगा।

6. कोई भूमिस्वामी, जिसकी भूमि वृक्षों से आच्छादित है और जो स्थायी खेती करने के लिए अनुपयुक्त है राज्य सरकार की उतनी खेती योग्य भूमि से, जो चालू बाजार दर से लगभग बराबर मूल्य की हो, विनिमय करने के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु ऐसा विनिमय दोनों पक्षों को अलाभकारी नहीं होगा तथा अन्य व्यक्तियों पर ऐसे विनिमय का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो।

7. (1) जहाँ किसी राजस्व अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इन नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में काटा गया है तो राजस्व अधिकारी द्वारा या उसके आदेश के अधीन ऐसे वृक्ष की लकड़ी या कार्प (कारपस) का अधिग्रहण किया जा सकेगा।

(2) जहाँ राजस्व अधिकारी उपखण्ड अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है वहाँ ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट, उसके द्वारा पन्द्रह दिनों के भीतर, उपखण्ड अधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए की जाएगी, जैसा कि वह म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 वर्ष 59) की धारा 253 के अधीन करना उचित समझे।

8. (1) वृक्षों की कटाई से प्राप्त वनोपज के परिवहन हेतु मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 लागू होंगे।

(2) अभिवहन में वनोपज का भार साधक कोई व्यक्ति किसी भी न अधिकारी, राजस्व अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा, जब कभी उससे ऐसा करने को कहा जावे, उसके प्रभार में की वनोपज से सम्बन्धित पास या पासों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

9. म.प्र. वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध का विनियम 2002 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं। परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई कोई कार्यवाही या पारित किया गया आदेश, इन नियमों के अधीन की गयी कोई कार्यवाही या पारित किया आदेश समझा जावेगा।